

(1)

Sub: Smt. Suman Unni's first application No.7522 under RTI Act, 2005 dated 04-02-2015 and her subsequent appeals to Central

Information Commission.

Ref: Order passed by Central Information Commission vide CIC/YA/A/2015/002064, down loaded from CIC website on 21-11-2016

The above referred RTI application of Smt. Suman Unni was received on 04-02-2015. Being dissatisfied with the information imparted by PIO and FAA, she filed second appeal.

Hearing of 2nd Appeal was held on 15-11-2016.

Order passed by Central Information Commission in this matter has been posted on CIC site. From the print out, it may be seen that the following order has been passed by Central Information Commission.

"प्रार्थिनी द्वारा वांछित सूचना प्राधिकरण के क्वार्टर, दुकान तथा भूमि, जिनपर कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जा किये गए हैं और न्यायालय ने इसे खाली कराने और मुआवजा वसूलने संबंधी आदेश भी जारी किये हैं, के संबंध में की गयी कार्रवाई से संबंधित हैं। इस प्रकार अयोग की राय में प्रस्तुत मामला लोकहित से जुड़ा है और विशेषकर सुनवाई के दौरान प्रार्थिनी द्वारा लगाए गए अभियोग के आलोक में इससे संबंधित सूचना का प्रकटन अनिवार्य है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आयोग केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को यह निर्देश देता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से उक्त 1347 मामलों की समीक्षा करें तथा इनमें जिन—जिन मामलों में प्राधिकरण द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार बेदखली की कार्रवाई की गयी है और मुआवजा वसूला गया है, का विवरण प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 4 सप्ताह के अंदर प्रार्थिनी को प्रेषित करें तथा यह सूचना प्राधिकरण के बेवसाईट पर भी लोक प्रक्षेत्र में प्रकाशित करें।"

Print out is enclosed for reference please.

May kindly see to provide authenticated information exactly according to the enclosed order with reference to the first application in compliance to the order of Central Information Commission to reach our office latest by 15.12.2016, so that further necessary action may be taken in this regard.

(Sushma Saxena)
AGM(Pers) & APIO

DGM (Pers.) & PIO

GM(TSD)

PSM TSD & Free

3 A 22/11/16

2011100 1 0 mm

型(利) <u>4629</u> 22·11·16 22·11